राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

दिनांक 16 फरवरी, 1989 को प्रातः 11.00 बजे कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा – जयपुर में आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की बैठक का कार्यवृत :

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :

1.	डा. के. एन. नाग	(अध्यक्ष)
2.	श्री एम. एल. मेहता	
3.	श्री शिवनाथसिंह कपूर	
4.	डा. आर. सी. मेहता	
5.	डा. एस. एन. सक्सेना	
6.	डा. एस. एस. आचार्य	
7.	डा. पी. एन. मेहरोत्रा	
8.	डा. एन. एल. अग्रवाल	
9.	श्री खुशहाल सिंह	(सदस्य सचिव)
10.	श्री बी. एस. उज्वल	(आमंत्रित सदस्य)
11.	श्री के. एस. माथुर	(आमंत्रित सदस्य)
12.	डा. जे. एस. भाटिया	(आमंत्रित सदस्य)

डा. पी. डी. शर्मा ने अपनेपत्र द्वारा सूचित किया कि वह गृह मंत्रालय, भारत सरकार में एक बैठक के संबंध में व्यस्त होने से इस बैठक में भाग लेने में अपनी असमर्थता प्रकट की। श्री हनुमान प्रसाद, सचिव, पशु पालन विभाग ने भी अपनी असमर्थता प्रकट की।

राकृवि/प्रबो-9/89-2~~2~~116. दिनांक 28 जनवरी 1989 को आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की बैठक के कार्यवृत की पुष्टि पर विचार किया गया।

निर्णय लिया गया कि बैठक के कार्यवृत की पुष्टि निम्न टिप्पणियों के साथ की जाय।

अ) मद संख्या 104 में जीव रसायन विभाग के सह आचार्य के पद पर वरीयता क्रम संख्या 2 पर श्री विनोद शर्मा के नाम के स्थान पर डा. विमल शर्मा पढ़ा जाय।

ब) मद संख्या 115 जो कि विभागाध्यक्षों की नियुक्ति व कार्य एवं प्रकार्य (ड्यूटीज़ एण्ड फंक्शन्स) के संबंध में है पर सदस्यों ने पुनः विचार/ चर्चा की और सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि विभागाध्यक्षों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 की धारा 9(4) के अन्तर्गत नियुक्ति कुलपति करने में सक्षम है अतः सभी विभागों में विभागाध्यक्ष की नियुक्ति उपरोक्त धारा के अन्तर्गत तुरन्त प्रभाव से की जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि कुलपति विभागाध्यक्षों की कार्य एवं प्रकार्य (ड्यूटीज एवं फंक्शन्स) राज्य सरकार को प्रेषित स्टेट्यूट्स में संशोधनों के आधार पर निर्धारित करे।

राकृवि/प्रबो-9/ 89-2/117. प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 28.1.1989 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति पर विचार किया गया।

निर्णय लिया गया कि क्रियान्विति को आलोकित किया जाय।

राकृवि/प्रबो-9/ 89-2/118. कुलपति द्वारा प्रसारित विभिन्न आदेशों को अनुमोदित करने पर विचार किया गया।

निर्णय लिया गया कि कुलपति द्वारा प्रसारित आदेशों को अनुमोदित किया जाय।

राकृवि/प्रबो-9/ 89-2/119. मानद उपाधिया प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया।

कुलपति ने बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराया कि दिनांक 6 फरवरी, 1989 को अधिकृत समिति की बैठक में डा. एम. एस. स्वामीनाथन, भूतपूर्व महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व भूतपूर्व निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय चांवल अनुसंधान केन्द्र मनीला और प्रो. महेश्वर दयाल, सचिव, अपारम्परिक उर्जा स्त्रोत, भारत सरकार, नई दिल्ली को विज्ञान महाविज्ञ की मानद उपाधि से सम्मानित करने का प्रस्ताव किया है।

निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाय और दिनांक 25.2.1989 को आयोजित विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षान्त समारोह में उपरोक्त उपाधिया प्रदान की जाय।

राकृवि/प्रबो-9/ 89-2/120. दिनांक 11.2.89 से 14.2.89 को आयोजित विभिन्न चयन समितियों की सिफारिशों पर विचार किया गया।

निर्णय लिया गया कि चयन समितियों की सिफारिशो को अनुमोदित किया जाय।

पद नाम	नाम	वरियता क्रम	विवरण
सहायक आचार्य कलाथिंग एण्ड टेक्सटाइल	कुमारी मीनू सक्सेना	1	न्यूनतम वेतन
आचार्य, विस्तार शिक्षा	डा. सत्य नारायण मुन्दड़ा	1	वि. वि. नियमानुसार
सहायक आचार्य सिस्टम इंजिनिरिंग कम्प्यूटर	श्री पोखरमल जाट	1	न्यूनतम
सहायक आचार्य ग्रामीण समाज शास्त्र	डा. [श्रीमती] सुनिला गुप्ता	1	न्यूनतम

1.	2.	3.	4.
सह आचार्य, कृषि अर्थ शास्त्र	डा. श्री किशन महावीर सोहम	1.	वि. वि. नियमानुसार
सहायक आचार्य कृषि अर्थशास्त्र	श्री महेन्द्र सिंह शेखावत	1	न्यूनतम्
	श्री बृजन लाल शर्मा	2	वि. वि. नियमानुसार
	डा. राजेश शर्मा	3	" "
	श्री आर.सी. शर्मा	4	" "
	कु. सुनिता वर्मा	5	न्यूनतम्
	डा. (कु.) मधु सिंह	6	न्यूनतम्
	श्री प्रदीप कुमार	7	वि. वि. नियमानुसार
	डा. नरेन्द्र कुमार सिंह	8	न्यूनतम्
	डा. रविन्द्र शर्मा	9	न्यूनतम्
	श्री राजवीर सिंह पन्नू	10	न्यूनतम्
	श्री सज्जन सिंह झोबा	11	वि. वि. नियमानुसार
	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह	12	" "
सहायक आचार्य प्रोसेसिंग व फूड इंजिनियरिंग	श्री संजय कुमार जैन	1	वि. वि. नियमानुसार
	श्री विशम्भर दयाल मुदगल	2	न्यूनतम्
सह आचार्य विस्तार शिक्षा	डा. दिलीप कुमार सुजान	1	न्यूनतम्
	डा. पी.एन. कल्ला	2	वि. वि. नियमानुसार
	श्री वी.पी. शर्मा	3	" "
सहायक आचार्य विस्तार शिक्षा	श्री जगदीशप्रशाद लखेरा	1	वि. वि. नियमानुसार व वेतन श्रखंला का न्यूनतम्
	श्री सुरेश कृष्ण शर्मा	2	" "
	डा. शिव दयाल धाकड़	3	" "
	डा. शिव नारायण ओझा	4	" "
	डा. मलिखान सिंह चौहान	5	वर्तमान मूल वेतन संरक्षित किया गया
	श्री गोपाल सिंह बांगड़वा	6	वि. वि. नियमानुसार व वेतन श्रंखला का न्यूनतम्
	श्री राधेश्याम पाठोदिया	7	"
	श्री कान सिंह राठोड़	8	"

कुलपति द्वारा सूचित किया गया कि चार पदों के लिये सुरक्षित सूचियां भी हैं ।

राकृवि/प्रबो-9/89-2/121

डा. वी.पी. चक्रवर्ती, सेवानिवृत आचार्य व डा. सुधीर कुमार, कार्यमुक्त, सह आचार्य के संबंध में प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय संख्या 39 दिनांक 29.2.88 के अन्तर्गत संयुक्त जांच करने हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि प्रतिवेदन में दर्शायी गई आर्थिक हानि के संबंध में दोनों संबंधित व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाय व पहुंचाई गई आर्थिक हानि संबंधित व्यक्तियों से वसूल की जाय ।

राकृवि/प्रवो–9/89–2/122

दिनांक 30.12.88 को आयोजित शैक्षणिक परिषद् के कार्यवृत के मुख्य बिन्दुओं पर विचार किया गया।

निर्णय लिया गया कि कार्यवृत को निम्न टिप्पणी के साथ पुष्टि की जाय।

<u>मद संख्या 11</u> प्रति व्याख्यान 200/– रूपये पारीश्रमिक दिया जाये। श्री एम. एल. मेहता, कृषि उत्पादन सचिव द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय में मेमोरियल लेक्चर्स कराये जाने की प्रथा प्रारम्भ की जाय जिसमें 1000/– रूपये प्रति लेक्चर व यात्रा व्यय व अन्य सुविधाये (आवास सुविधा) भी व्याख्यादाता को उपलब्ध करायी जाये। इस सुझाव को सिद्धांत स्वीकृत किया और रूपरेखा बनाली जायें।

<u>मद संख्या 24:</u> फ्यूचरोलोजी विषय प्रारम्भ करने के संबंध में निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक स्वीकृति इस शर्त पर दी जाय कि विश्वविद्यालय पर कोई आर्थिक भार नहीं पड़े।

राकृवि/प्रवो–9/89–2/123

कुलपति द्वारा सूचित किया गया की डा. आर. एस. परोदा, का बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्यकाल 25.2.89 को समाप्त हो रहा है। यह भी सूचित किया गया कि डा. परोदा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12(2)(डी) के अन्तर्गत बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय की चयन समितियों पर भी मनोनीत है। चयन समितियों की बैठक के दीक्षान्त समारोह के पश्चात्, दिनांक 27.2.89 से पुनः आयोजित की जानी है जिस हेतु प्रबन्ध बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में चयन समितियों हेतु मनोनयन किया जाय। विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि डा. एन. एस. गोस्वामी, अधिष्ठाता, स्नातकोतर कक्षाये व सह निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई-दिल्ली, का अधिनियम की धारा 12(2)(डी) के अन्तर्गत विभिन्न चयन समितियों में बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में मनोनयन किया जाय।

राकृवि/प्रवो-9/
89-2/124

कुलपति महोदय ने राजस्थान एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के स्थान पर राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी शीघ्र संशोधित किये जाने के संबंध में आवश्यकता बताई । विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार को इस संबंध में शीघ्र आर्डिनेन्स के संशोधन के प्रस्ताव को गति से प्रस्तावित करने के प्रयास जारी रहें और फिर परिस्थिति देखते हुवे डिग्री छपवाने की कार्यवाही के लिये मंडल कुलपति को अधिकृत करता है ।

राकृवि/प्रवो-9/
89-2/125

वित्त नियंत्रक ने सूचित किया कि विश्वविद्यालय के संशोधित अनुमान 88-89 आय-व्ययक ॣ व आय व्ययक अनुमान ॣ 89-90 वित्त समिति ने दिनांक 15.2.89 को पारित किया है । यह भी सूचित किया कि विश्वविद्यालय के अगले वित्तीय वर्ष के योजना बजट प्रावधानों में कुछ कटोतियां राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित की गई है अतः सीलिंग के अनुसार योजना बजट तैयार कर प्रबन्ध बोर्ड की अगली बैठक में शीघ्र प्रस्तुत कीया" जायेगा । जिस हेतु मार्च के अंतिम सप्ताह में प्रबन्ध बोर्ड की बैठक आयोजित की जायेगी ।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई ।

ह0
ॣ के. एन. नाग ॣ
अध्यक्ष

ह0
ॣ खुशहाल सिंह ॣ
सदस्य सचिव